

कार्यालय ग्राम पंचायत-

कट्टया

निकास खण्ड

४१३१

जनपद-

५१३१

ग्राम

दिनांक २२/६/२३

मतदाता

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मतदाता

अवगत कराना है कि दिनांक २२/६/२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदगिक / जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता / समायिका कांटदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर वार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिनार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अल: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवार द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

मतदाता

ग्राम पंचायत
विधिकारी
विधायक सोसायटी गांधीपुर चौरा

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)



अनुमोदित

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 22/11/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 13/12/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम:

कर्पोरेशन

ग्राम पंचायत का नाम:

कर्पोरेशन

ब्लॉक का नाम:

सुरदार

जिला का नाम:

गाजियाबाद

राज्य का नाम:

उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों की उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठ पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्रामपंचायत संघरण समिति
समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: आशा योक्ता

लिंग: महिला

आयु: 40 वर्ष



मेरी

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनसंख्या का अनुमान:

जनसंख्या = 4255परिवारों की संख्या = 512घरहालीयों की संख्या = 1226वासी की संख्या = 1226दूतावासी की संख्या = 1226एवरेटीयों की संख्या = 1226

वर्तमान सांख्यिकीय अनुमान वर्कशीट के अनुसार:

वर्तमान सांख्यिकीय

= 3144

परिवारों की संख्या

= 626

घरहालीयों की संख्या

= 974

वासी की संख्या

= 974

दूतावासी की संख्या

= 300

एवरेटीयों की संख्या


= 300

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____


9. कृषि फसल पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 मि.मी. 180 m.11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	संवलनेका संस्था का नाम	क्या एकलवाली योग्य उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षावन्न सम्बन्ध संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	साइता गढ़ी को उपलब्धताएँ (हाँ/नहीं)
1.	समाजिक संस्था			
2.	आगनवाड़ी			
3.	समाजिक संस्था			
4.	ग्राम पंचायत समिति			
5.	अन्य			



शानी की कल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या^a X दर: 145.1 के.एल.डी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 72.10 के.एल.डी.
 मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: _____
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या^a X दर: 132.11 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या^a X दर: 75.5 के.एल.डी.

पानी की आपर्ति का इतिवृत्त

16. गँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सख्त/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: **नहीं**

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: **नहीं**

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त **नहीं**

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: **भले हिंदा**, **टाइफून**, **झींगा**
पानी की मणवल्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (भवस्थिति): _____

सापेक्ष	दरीकरण	संसाधन
प्रारम्भ	पश्य रग तुलना	
पृष्ठ लकड़ीना	दिसीमटेन विष्व	
प्रणे क्लोसीयता	टिसीसाटक विष्व	
उत्तरार्द्ध	दिसीमटेन विष्व	
आगोनिया	दश्य रग तुलना	
क्लोसी	दश्य रग तुलना	
अवाशीट क्लोरोन	दश्य रग तुलना	
ग्रामिया	दश्य रग तुलना	
ग्रामिया	दश्य रग तुलना	
प्रतीक्षा	दश्य रग तुलना	
आसोनक (हाउस्पॉट में)	दश्य रग तुलना	

कपड़े धोने / स्त्रान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

प्राकृतिक जल संग्रह	पर्यावरण की समस्या	आवश्यक
प्राकृतिक जल संग्रह	पर्यावरण की समस्या	आवश्यक

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के सामग्रे में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पलन गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 62.1 के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 40

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है: 35

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या: 2

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: झाड़ी - छोटी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस ब्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्ता/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: जल जलियाल

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल जलियाल मिट्टी

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पर्याप्त जल - 17 अक्टूबर 2024
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: 2.60 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजनाओं का नाम	विनियोग	प्रयोगित गतिविधियां	प्रस्तावित निधि
स्वच्छ संसाधनों का उत्पादन	स्वच्छ संसाधनों का उत्पादन	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि
संवर्धन सारणी	संवर्धन सारणी	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि
मिशन - ग्रामीण	प्रयोजन और स्वच्छता विभाग	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि
प्रयोजन - ग्रामीण	प्रयोजन - ग्रामीण	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि
ग्रामीण विकास नियम	ग्रामीण विकास नियम	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि
ग्रामीण विकास नियम	ग्रामीण विकास नियम	जल शुल्कों की वृद्धि	ग्राम पर्याप्त जल शुल्कों की वृद्धि



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीणोंद्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारों का जीणोंद्वारा	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्रार्थिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन परिस्थितिको तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			



योजना का नाम	वेन्डर/राज्य सरकार का विभाग भूमि संसाधन विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृतिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग		
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाइ.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाइ.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनोकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाइ.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	मीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
दलदाता/प्रायोजक			

आधिकारी का हस्ताक्षर: ३११२१७ अ३७

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1.	प्रियंका यादव	८८००१३९६२२
2.	द्वजा पाठव	९६१६४९०१३१
3.	प्रजा राजभर	८१५४९३६६८९
4.	सुंगीता राजभर	८९३१९९२५६५
5.	नीलम	९५०६६१७३३६

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:



M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत